कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ 3913 दतिया/दिनांक 13-11-18

प्रति,

कार्य पालन यंत्री
हरसी उच्च स्तरीय नहर
संभाग क्रमांक 2, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :– सिंध नदी पर सेंवढ़ा के पास प्रस्तावित सिन्ध (सेंवढ़ा) बैराज (माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना) के निर्माण हेतु डूब में आ रही वन भूमि की मांग का प्रस्ताव (FP/MP/IRRIG/29139/2017)

संदर्भ :–
(1) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला ग्वालियर का पत्र क्रमांक 3537 दिनांक 01.11.2018
(2) मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त ग्वालियर का पत्र क्रमांक 6753 दिनांक 23.10.2018
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 830 दिनांक 21.03.2018 एवं क्रमांक/एफ–3/2018/10–11/1953 दिनांक 04.07.2018 जो प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल को संबोधित

उपरोक्त विषयांतर्गत आपने सन्दर्भित पत्र द्वारा सिंध नदी पर सेंवढ़ा के पास प्रस्तावित सिन्ध (सेंवढ़ा) बैराज़ (माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना) के निर्माण हेतु डूब में प्रभावित होने वाली 913.900 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं :–

(1) मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त ग्वालियर के सन्दर्भित पत्र द्वारा विस्तृत संयुक्त सर्वे कर डूब में आने वाली वन भूमि के आंकलन के निर्देश दिये गये थे। वन परिक्षेत्र अधिकारी सेंवढ़ा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1818 दिनांक 12.11.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि, आपके द्वारा इस संबंध में स्थल पर जाकर कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है और न ही आपका कोई अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त सर्वेक्षण कार्य हेतु उपस्थित हुआ है, जिसकी वजह से वन भूमि की डूब का आंकलन सही माना जाना संभव नहीं है। पूर्व में आपके द्वारा बिना संयुक्त सर्वेक्षण किये 799.590 हेक्टेयर का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें ग्वालियर वनमंडल की प्रभावित हो रही वन भूमि का भी आंकलन नहीं किया गया था। जिसके कारण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने से आपको वापस किया गया था। पुनः आपके द्वारा बिना स्थल पर संयुक्त सर्वेक्षण किये प्रस्ताव दिया गया है?

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मूल रुप में वापस किया जाकर लेख है कि, उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त ग्वालियर के सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर स्थल पर संयुक्त जांच करावें तदोपरांत संशोधित प्रस्ताव की हार्ड कॉपी 05 प्रतियों में निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें, जिससे प्रस्ताव का भलीभांति परीक्षण कराया जाकर नियम अनुसार कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

O/C

क्रमांक/मा.चि./ 3914 दतिया/दिनांक 13-11-18

प्रतिलिपि :–
(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू अभिलेख) मध्य प्रदेश भोपाल
(2) मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर
(3) मुख्य अभियंता दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया
(4) कलेक्टर जिला दतिया

की ओर सूचनार्थ संप्रेषित है।

(5) उप वनमंडलाधिकारी दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
(6) वन परिक्षेत्र अधिकारी सेंवढ़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

O/C